

12-11-16

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओउप0

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कांकर उप0

फरियादी रघुवीर एवं आहत बंटी उर्फ विनोद उप0 फरियादी एवं आहत की पहचान अधि0श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा की गई।

इसी प्रकम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा320 2 के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई। फरियादी रघुवीर द्वारा द0प्र0स0 की धारा 3204 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर मृत पूनाबाई की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति चाही गई।

सर्वप्रथम द0प्र0स0की धारा320 4 के आवेदन पर विचार किया गया। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत पूनाबाई की मृत्यु हो चुकी है एवं पूनाबाई के पति रतनलाल की मृत्यु हो चुकी है। फरियादी रघुवीर आहत पूनाबाई का पुत्र है एवं पूनाबाई का विधिक प्रतिनिधि होकर उसकी ओर से राजीनामा करने के लिये सक्षम है। अतः रघुवीर द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया तथा फरियादी रघुवीर को मृत पूनाबाई की ओर से भी प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई।

रघुवीर सिंह

वकील

प्रवीण गुप्ता

प्रवीण गुप्ता

वकील

प्रवीण गुप्ता

प्रवीण गुप्ता

प्रवीण गुप्ता

प्रवीण गुप्ता

प्र.

तत्पश्चात् राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपीगण के विरुद्ध भादस की धारा 294, 323 दो शीर्ष, 323/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। आरोपीगण पर आरोपित अपराध न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी रघुवीर एवं आहत बंटी ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः वाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी हीरालाल, रामराज, श्रीलाल, एवं भारत सिंह को भादस की धारा 294, 323 दो शीर्ष, 323/34 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा लोहे का हसिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़ तोड़ कर नष्ट किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.

क.2-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क024 गोहद